

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

काली

बनाम

पुपु लाम

केसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 177/2023

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

15/06/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज
रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती काली - जगन्नाथी - नारायणी - बदामी -
रमेश - हजारी
पिता श्री कल्याण शर्मा

निवासी- विजयपुर तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

विजयपुर स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 721, 722,
027 013

731 732, 733
002 048 006

कुल कीता 5 कुल रकबा 0.9600 है0 की पत्थरगढी
कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज
रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम विजयपुर स्थित खातेदारी की भूमि आराजी
नम्बर 721, 722, 731, 732, 733
027, 013, 002, 048, 006

कुल कीता 5 रकबा 0.9600 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी
किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का
खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000000 रूपये अक्षरे एक हजारी 20000
प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर
पेश हो।

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़